बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

***

संकल्प

संख्या : 1/पी0–439/2006–सा0प्र0–....5450 /पटना–15, दिनांक : 10 अप्रैल, 2015

विषयः– भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदाधिकारियों की नियुक्तियों (पदस्थापन /स्थानांतरण) हेतु सिविल सर्विस बोर्ड का गठन।

कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सा0का0 नि0–67(अ) दिनांक–28.01.2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली,1954 में संशोधन हेतु अधिसूचित भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियमावली,2014 के नियम–7 के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार नियम–7 (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूची में निरूपित सिविल सेवा बोर्ड का गठन अगले आदेश तक निम्नवत् करती है:–

(i)	मुख्य सचिव, बिहार	–	अध्यक्ष
(ii)	श्री शक्ति कुमार नेगी, भा0प्र0से0 (81) विकास आयुक्त, बिहार	–	सदस्य
(iii)	प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार	–	सदस्य सचिव

2 सिविल सेवा बोर्ड उक्त नियम–7(1) की विनिर्दिष्ट अनुसूची में वर्णित कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

3 एतद् संबंधी विभागीय संकल्प संख्या–4004 दिनांक–25.03.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी एक सौ प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशाखा–01) को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

09/4/2015

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–1/पी0–439/2006–सा0प्र0–5450/पटना–15, दिनांक : 10 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपिः– उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/संयुक्त सचिव (एस एण्ड वी -II), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ श्री शक्ति कुमार नेगी, भा0प्र0से0 (81), विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (वित्त विभाग को सी0 डी0 के साथ उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अवर सचिव (प्रशाखा–01), प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01 एवं 06), को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/4/2015

सरकार के अवर सचिव